SHIKSHA SAMVAD
International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
© Shiksha Samvad|Volume-03| Issue-03| March- 2026
Available online at: https://shikshasamvad.com/
DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i3.28

भिक्षावृत्ति एक अभिशाप: भारतीय समाज के सन्दर्भ में

डॉ.श्याम नारायण वर्मा
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, महामाया राजकीय महाविद्यालय, श्रावस्ती

सारांश-

यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा की अगर भीख मांगना नही आता तो तम्बाकू खाना सीख लेना चाहिए अर्थात 'मांग न आवै भीख तो सुरती खाना सीख' इस प्रचलित लोकोक्ति से भिक्षा मागने की आदत खुद-ब-खुद पड़ ही जायेगी। भारत में भिक्षावृत्ति अगर एक तरफ विपन्नता के कारण बढ़ी है तो दूसरी तरफ इसे एक आसान कार्य एवं व्यवसाय के रूप में महसूस किया गया है जो भी हो ऐसी प्रवृत्ति किसी भी सभ्य समाज के लिए बदनुमा दाग से कम नहीं है। भारत की एक बड़ी आबादी इस पेशे में संलिप्त है इस क्षेत्र से नौनिहाल भी अब अलग नहीं रहे लगातार बढ़ती भिक्षावृत्ति एक सभ्य समाज के माथे पर कलंक के समान है इसे दूर किये बिना हम विकसित भारत, विश्व गुरु बनने जैसे सपने को साकार करने की कोरी कल्पना से ग्रस्त कहे जायेगें।

भिक्षावृत्ति का अर्थ-

एक ऐसी प्रवृत्ति भिक्षावृत्ति कही जा सकती है जिसमें एक व्यक्ति बिना किसी जीविकोपार्जन के साधन के आधार के कारण दर-दर भटकता है दूसरों के आगे हाथ फैलाता है, दूसरे शब्दों में कहें तो भिक्षुक वह व्यक्ति है जो भीख मांगने के लिए इधर उधर घूमता रहता है या फिर किसी सार्वजनिक स्थान पर जैसे वस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मंदिर, मस्जिद गुरुद्वारे, भीड़-भाड़ वाली गली चौराहे पर खुद बैठता है या अपने बच्चों को आगे करता है।

मैसूर में 1944 में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लागू करने वाला कानून बना जिसके अनुसार भिक्षावृत्ति के अन्तर्गत भिक्षा पाने के लिए दर-दर घूमकर भीख मांगना तो आता ही है, उसके अतिरिक्त भिक्षा देने वाले की करुणा जाग्रत करने के लिए अपने शरीर के फोड़े, घाव, शारीरिक रोग या विकृतियों का प्रदर्शन और तत्संबंधी गलत बहाने-वाजी भी आती है जिससे भिक्षा प्राप्त हो सके।

हम कह सकते हैं कि पेट पालने के लिए या अपने व्यक्तिगत निहित स्वार्थ को दृष्टि में रखकर दर-दर घूमकर एक स्थान पर बैठकर, खड़े होकर या कोई अन्य भावनात्मक कला का प्रदर्शन करके भिक्षा मांगना वर्तमान समय में किसी असाध्य रोग का हवाला देकर, दुर्घटनाग्रस्त शरीर का या फिर ए0आई0 द्वारा निर्मित क्षत-विक्षत शरीर को फेशबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि के माध्यम से

समाज के सामने परोशकर लोगों से सहायता मांगना भिक्षावृत्ति का एक नवीनीकृत स्वरूप समाज के सम्मुख दिखायी देने लगा है। इन तमाम आधारों पर भी लोगों की करुणा जगा कर अपने खाते में पेसा मगाने का एक नया तरीका आधुनिक भिखारियों ने अपना लिया है भिक्षावृत्ति का आधुनिक तरीका निश्चय ही वास्तविक भिक्षावृत्ति नहीं कहा जा सकता क्योंकि आधुनिक तकनीकों का सहारा लेना किसी अशिक्षित, विकृत, असमर्थता वाले व्यक्ति के द्वारा संभव नही है बल्कि यह उन लोगों द्वारा अपनाया जाने वाला माध्यम है जो भिक्षावृत्ति को एक आसान और लाभकारी माध्यम मानते हैं मीडिया के सम्मुख वास्तविक भिखारी स्वयं नहीं आता बल्कि किसी अंग-भंग, अपाहिज, लाचार, बीमार, घायल व्यक्ति की तस्वीर पोस्ट कर लोगों की करुणा के साथ खेलने वाला खिलाड़ी है जिसके माध्यम से पैसा प्राप्त किया जाता है आज देश में हजारों लोग इस प्रकार के साइबर अपराध धोखा-धड़ी का शिकार हो रहे हैं इससे बचने के लिए लोगों में जागरूकता का संचार अति आवश्यक हो गया है।

भारतीय परंपरा में भिक्षा का स्थानः-

भारतीय धर्मग्रंथों पर दृष्टिपात किया जाये तो पता चलता है कि 'भिक्षां देहि' का उद्घोष ब्रह्मचारी और सन्यासी के मुख से सुनकर भिक्षा देने वाला व्यक्ति अपने को कृत-कृत्य समझता रहा है। मनुस्मृति में उल्लेख आता है कि-

उदकुम्भं सुमनसो गोशकृन्मृत्तिकां कुशान् ।
आहरेद्यावदर्थानि भैक्ष्यं चाहरहश्चरेत् ॥

अर्थात ब्रह्मचारी आचार्य की आवश्यकतानुसार जलपूर्ण कुम्भ, पुष्प, गोबर, मृत्तिका का एवं कुश लाये और प्रतिदिन भिक्षान्न का संग्रह करे यह भिक्षान्न उपवास के समान पवित्र माना गया है। इसीलिए कहा गया है कि वह केवल 'वेदयज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां सुकर्मसु' वेदानुष्ठानयुक्त संतोषव्रती प्रशस्त सत्कर्मी ग्रहस्थों के यहां से ही लिया जाये। गुरुकुल से अपनी जाति वालों से, सगे संबंधियों मामा आदि के यहां से न लिया जाय। एक ही गृहस्थ के निकट से भिक्षान्न लेने का भी निषेध है।

सन्यासी के लिए भिक्षा के जो विधि निषेध है उनमें कहा गया है कि जिस गृहस्थ के यहां वाणप्रस्थों की, अन्यान्य ब्राह्मणों की ब्रह्मचार्यों आदि की भीड़ हो, वहां भिक्षा के लिए न जायें। एक बार से अधिक भिक्षा न मांगे-'एक कालं चरेद्भैक्ष्यं'। और भिक्षा मांगे कब ? जब गृहस्थ के घर से रसोई का धुआं निकलना बंद हो जाय, ओखली-मूसल का काम निपट जाय, पाकशाला की अग्नि बुझ जाय और घर के सब लोग खा-पीकर जुठे बर्तन फेंक दें-

विधूमे सन्नमुषले व्यंगारे युक्तवर्ज्जने।
वृत्ते शवावसम्पाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्॥

साथ ही ब्रहारचारी को यह भी निर्देष है कि भिक्षा की प्राप्ति होने पर आपको बहुत प्रसन्नता का प्रदर्शन नहीं करना है और न प्राप्त होने पर बहुत दुःखी होना है अर्थात-'अलाभे न विवादी स्याल्लाभे चैव न हर्षयेत्।' प्राप्त और अप्राप्त दोनों स्थितियों में ब्रहारचारी को सहज रहने की प्रेरणा दी गयी है। कितना पावित्र्य है इस भिक्षा-व्यवस्था में जीविका के जिन साधनों को मनुस्मृति में स्वीकार्य माना गया है, उनमें सर्वोत्तम साधन ऋत् माना है।- पृथवी में बिखरे दानों को एक-एक कर चुनने की उञ्छ-शिलवृत्ति। बिना मांगे जो प्राप्त हो उससे निर्वाह करना उसके बाद की अमृत वृत्ति, तदुपरांत भिक्षा जीवन वृत्ति है और फिर है कृषि जीवन प्रमृत वृत्ति।

पवित्र भिक्षा की यह भारतीय पुरातन परंपरा ने धीरे-धीरे कितना विकृत रूप धारण कर लिया यह सच्चाई आज किसी से भी छिपी नही है अब इसे एक धंधे के रूप में समझा जाने लगा है और स्पष्ट ही नही की भिक्षा मांगने वाला वास्तव में भिखारी है या फिर करुणा का सौदागर है।

आज भिक्षाटन का सैकड़ो तरीका आधुनिक भिखारियों ने अपना लिया है करुणाशील आम जनमानस सही और गलत भिखारियों की पहचान ही नहीं कर पा रहा है जिसका नतीजा यह होता है कि कभी-कभी जरूरतमंद भिखारी भी लोगों की करुणा का लाभ नही पाता क्योंकि नकली भिखारियों की बढ़ती फेहरिस्त ने लोगों के मन में शंका पैदा कर दिया है। आज ब्रहा्रचारियों, संन्यासियों और साधुओं की भिक्षा का भी पुरातन स्वरूप सर्वथा परिवर्तित हो गया है। भिक्षान्न पर निर्भर रहने वाले ब्रह्मचारी अब दिखते नहीं, साधु संन्यासी भले भिक्षाटन करते देखे जा सकते हैं आज सभी आश्रमों की स्थिति में बदलाव आ चुका है अब मठ मंदिरों में मुकदमें झगड़े लड़ाई आम हो गयी है अर्थात पुरातन परंपराओं में अब आमूल चूल परिवर्तन आ चुका है अतः भिक्षावृत्ति का स्वरूप पूर्णतया बदल चुका है।

डॉ. कुमारी के0एच0 कामा ने भिखारियों को 15 भागों में विभक्त किया है जो इस प्रकार है-

01. बाल भिक्षुक- इनसे भीख मंगवाकार दूसरे लोग लाभ उठाते हैं।

02. शारीरिक दृष्टि से दोषयुक्त भिक्षक- अंधे,गूँगे,बहरे,लूले-लगड़े।

03. मानसिक दृष्टि से दोषयुक्त और मानसिक रोगी भिक्षक-मंदबुद्धि, मानसिक रोगी।

04. रोगग्रस्त भिक्षुक-कोढ़,मिरगी,क्षय,चर्मरोग आदि के रोगी।

05. स्वस्थ भिक्षुक- हट्टे-कट्टे मुस्टंडे आदि।

06. धार्मिक भिक्षुक-बैरागी,सांई,योगी, फकीर, दरवेश आदि।

07. बनावटी धार्मिक साधु- रंगे साधु, फकीर।

08. जनजातीय भिक्षुक-नट,कंजर,बावरिया,मीना,बेरिया,टागू आदि।

09. काम में लगे भिक्षुक- रात में कारखानों आदि में काम और दिन में भीख मांगना।

10. छोटा-मोटा व्यापार करने वाले भिक्षुक- पान-बीड़ी आदि के व्यापार के साथ भिक्षावृत्ति भी।

11. अस्थायी बेकार, पर काम करने के योग्य भिक्षुक- खेती के काम से मुक्त।

12. अस्थायी बेकार, पर काम करने के अयोग्य भिक्षुक- कुछ बेकार भी, रोगी भी।

13. लगभग स्थायी बेकार, पर काम करने के योग्य भिक्षुक- काम न मिलने पर भिक्षावृत्ति।

14. स्थायी बेकार और काम न दिये जाने योग्य भिक्षुक- मंद बुद्धि या रोगी।

15. स्थायी बेकार, पर काम करने के अनिच्छुक भिक्षुक-श्रम से मुंह चुराने वाले आलसी, भीख मांगना पसंद करने वाले ।

अगर हम भारत में भिक्षावृत्ति के कारणों पर विचार करें इसके लिए जिम्मेदार आर्थिक करण, धार्मिक कारण, जैविकीय कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, आलस्य, प्रमाद, शारीरिक कारण, मानसिक कारण, प्रथायें परम्पराएं और राजनीतिक कारण इत्यादि हैं।

निष्कर्ष:-

भारत जैसे विशाल देश में भिक्षावृत्ति जैसी अनेकों सामाजिक समस्याओं ने इस देश को आर्थिक मामलों में हमेशा पीछे ढकेलने का काम किया है तमाम प्रयत्नों के बावजूद भी यहां भिक्षावृत्ति ने अपना पांव समेटने के बजाय पैर को पसारा ही है। निश्चय ही इसके पीछे हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति कमजोर रही है जब तक समेकित रूप से इस समस्या के निपटाने के लिए प्रयास नहीं किया जायेगा तब तक यह समाप्त नहीं हो पायेगी इसके लिए जरूरी है कि देश में आर्थिक विषमता का निवारण किया जाये, दान दक्षिणा का उदात्तीकरण किया जाये, श्रमनिष्ठा का विकास किया जाये, जन जागरण तथा मानसिक परिवर्तन की अति आवश्यकता है समाज के लोगों में स्वाभिमान जगाया जाये, नकली भिक्षार्थियों को चिन्हित कर उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की जाये। इसे एक रोजगार नही बल्कि एक हीन कार्य के रूप में देखा जाये जैसे अनेको प्रयासों से हम देश से इस बीमारी को समूल नष्ट कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूचि:

- सामाजिक विघटन और भारतः श्री श्री कृष्ण भट्ट, हिंन्दी ग्रथ अकादमी, सम्मेलन भवन कदम कुआँ पटना पेज न.578
- मनुसंहिता 2/182
- मनुसंहिता, 2/188
- मनुसंहिता, 2/183
- मनुसंहिता, 2/184
- मनुसंहिता, 2/188
- मनुसंहिता, 6/51
- मनुसंहिता, 6/55
- मनुसंहिता, 6/56
- मनुसंहिता, 6/57
- मनुसंहिता, 4/45
- सामाजिक विघटन और भारतः श्री श्री कृष्ण भट्ट, हिंन्दी ग्रथ अकादमी, सम्मेलन भवन कदम कुआँ पटना पेज न.585,86

Cite this Article:

डॉ.श्याम नारायण वर्मा, "भिक्षावृत्ति एक अभिशाप: भारतीय समाज के सन्दर्भ में"*Shiksha Samvad International Open Access Peer-Reviewed & Refereed Journal of Multidisciplinary Research, ISSN: 2584-0983 (Online), Volume 03, Issue 03, pp.241-244, March-2026. Journal URL: https://shikshasamvad.com/*

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ.श्याम नारायण वर्मा

For publication of research paper title

भिक्षावृत्ति एक अभिशाप: भारतीय समाज के सन्दर्भ में

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-03, Issue-03, Month March 2026, Impact Factor-RPRI-3.87.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://shikshasamvad.com/

DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i3.28